Awareness Programme among the Farmers for Protecting their Rights in Areas of Farm Innovations, Breeding and Protection of Varieties

The Institute Technology Management Unit (ITMU) of ICAR-Indian Institute of Soil Science, Bhopal (M.P.) and Krishi Vigyan Kendra (KVK), Raisen (M.P.) jointly organized an “Awareness Programme among the Farmers for Protecting their Rights in Areas of Farm Innovations, Breeding and Protection of Varieties” on 17 May, 2022 at KVK Raisen. The programme was organized as per the Council’s letter no. F. No. IP&TM-15 (05)/2022-IPR dated 07.04.2022 with the subject “Conduct awareness programme among the farmers for protecting their rights in areas of farm innovations, breeding and protection of varieties-regarding”.

At the outset, Dr. Sanjay Srivastava, Principal Scientist and I/c, ITMU, ICAR-IISS, Bhopal briefed the farmers about the objectives of the programme and the importance of farmers' rights. Dr. Swapnil Dubey, I/c, KVK elaborated the topic and presented in detail about the farmers' rights. Dr. Jyoti Kumar Thakur, Scientist, ICAR-IISS, discussed about National Biodiversity Act, and the importance of organic and natural farming. A detailed power point presentation on Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 was made by Dr. Pradeep Dwivedi discussed. Other resource persons of the programme Drs. Vassanda Coumar, Nishant Kumar Sinha, and Shinogi K.C., Scientists and Mr. Sanjay Parihar, Technical Assistant of ICAR-IISS, Bhopal covered various other topics under the theme area. Besides, SMS from KVK, Raisen attended the programme and gave their inputs. An advisory session on preparedness for upcoming kharif season was also held at the end. The programme ended with vote of thanks by Dr. Nishant K Sinha.

About 100 farmers attended the programme. Some farmers had brought local varieties of wheat screened/developed by them and these varieties were discussed during the programme. Plant trash decomposing capsules developed by ICAR-IISS, Bhopal were distributed to selected farmers. The literature on farmers' rights developed by KVK, Raisen, and ICAR-IISS technologies was also distributed to farmers. A visit to Exhibition of technologies was organized in the afternoon. The programme was given wide publicity in print media.

नई खोज

कार्यक्रम में मृदा संस्थान और जिलों के कृषि वैज्ञानिकों ने लिया भाग

पौध किस्मों का मालिकाना हक किसानों दिलाया जाए

स्टार समाचार | रायसेन

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल व कृषि विज्ञान केन्द्र, नकतरा, रायसेन के संयुक्त तत्वाधान में कृषि विज्ञान केन्द्र, नकतरा, रायसेन में कृषि में नई खोज, प्रजनन तथा किस्मों की सुरक्षा के क्षेत्रों में अधिकार संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के निदेशक डॉ. अशोक कुमार पात्रा के मार्गदर्शन में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. संजय श्रीवास्तव, डॉ. वासंदा, डॉ. निशांत सिन्हा, डॉ. ज्योति कुमार, डॉ. शिनोगी, संजय

परिहार व डॉ. स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, रायसेन प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधान वैज्ञानिक डॉ. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कृषकों के पास जो पुरानी व देशी किस्में उपलब्ध हैं, और उनमें कोई विशिष्ट गुण जैसे जल्दी पकना, कम अवधि, तापमान प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी होने पर उसे संरक्षित करें। कार्यक्रम में कृषक समुदाय से पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001 के अन्तर्गत किस्मों का मालिकाना हक किसानों को दिलाने की प्रक्रिया एवं पंजीकरण आदि की विस्तृत चर्चा की गई। डॉ. स्वप्निल दुबे द्वारा कृषि अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कृषक, कृषक किस्म, कृषकों के अधिकार, उद्देश्य एवं पौध किस्मों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी तकनीकी जानकारी विस्तारपूर्वक कृषकों को दी गई। कृषक पंजीकरण आवेदन पत्र जिले के उपसंचालक कृषि या शोध निदेशक से हस्ताक्षर कराकर पंजीकरण हेतु पौधा किस्म व कृषक अधिकार प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली को भेज सकते हैं। वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी व श्री रंजीत सिंह राघव द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, कृषक प्रजाति पंजीकरण की प्रक्रिया व कृषकों के अधिकार सम्बन्धी जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई।

परंपरागत तरीके से उगाई जा रही गेहूं की विशिष्ट प्रजाति

इस कार्यक्रम ग्राम सांचेत के कृषक मलिखान सिंह लोधी ने बताया कि परंपरागत तरीके से उगायी जा रही गेहूं की विशिष्ट प्रजाति जिसमें बाली व दाने की अधिक लम्बाई, कम पानी की स्थिति में भी अच्छा उत्पादन दे रही है। इस कार्यक्रम में ग्राम खण्डेरा, नकतरा, भूसीमेटा, सोनकछ, बांसादेही, बनखेड़ी, हिनौतिया, नीमढ़ाना, मेहगांव, चन्दौरा, बड़ौदा, सांचेत, तेन्दुखोह, आमखेड़ा आदि ग्रामों के लगभग 100 कृषकों ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी, लक्ष्मी चक्रवर्ती, डॉ. अंशुमान गुप्ता, आलोक सूर्यवंशी, ब्रहमानंद शुक्ला, सुनील केथवास, पंकज भार्गव उपस्थित थे।

स्टार समाचार Wed, 18 May 2022
starsamachar.epapr.in/c/68103393

कार्यक्रम में कई गांवों के 100 से अधिक किसानों ने लिया भाग

पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण पर जागरूक कार्यक्रम

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायसेन

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल व कृषि विज्ञान केन्द्र, नकतरा, रायसेन के संयुक्त तत्वाधान में कृषि विज्ञान केन्द्र, नकतरा, रायसेन में कृषि में नई खोज, प्रजनन तथा किस्मों की सुरक्षा के क्षेत्रों में अधिकार संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के निदेशक डॉ. अशोक कुमार पात्रा के मार्गदर्शन में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. संजय श्रीवास्तव, डॉ. वासंदा, डॉ. निशांत सिन्हा, डॉ. ज्योति कुमार, डॉ. शिनोगी, संजय परिहार व डॉ. स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, रायसेन प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधान वैज्ञानिक डॉ. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कृषकों के पास जो पुरानी व देशी किस्में उपलब्ध हैं, और उनमें कोई विशिष्ट गुण जैसे जल्दी पकना, कम अवधि, तापमान प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी होने पर उसे संरक्षित करें। डॉ. स्वप्निल दुबे द्वारा कृषि अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कृषक, कृषक किस्म, कृषकों के अधिकार, उद्देश्य एवं पौध किस्मों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी तकनीकी जानकारी विस्तारपूर्वक कृषकों को दी गई। कृषक पंजीकरण आवेदन पत्र जिले के उपसंचालक कृषि या शोध निदेशक से हस्ताक्षर कराकर पंजीकरण हेतु पौधा किस्म व कृषक अधिकार प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली को भेज सकते हैं। मेहगांव, चन्दौरा, बड़ौदा, सांचेत, तेन्दुखोह, आमखेड़ा आदि ग्रामों के लगभग 100 कृषकों ने भाग लिया।

किसानों को खोज व पुरानी किस्मों को संरक्षित करने की दी जानकारी

कृषि विज्ञान केंद्र नकतरा में किसानों को जानकारी देते हुए विज्ञानी। ● नवदुनिया

रायसेन। कृषि विज्ञान केन्द्र रायसेन व भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में नकतरा में कृषि में नई अन्तर्गत किस्मों का मालिकाना हक किसानों को दिलाने की प्रक्रिया एवं पंजीकरण आदि की विस्तृत चर्चा की गई। कृषक पंजीकरण

रायसेन भास्कर

बरेली ▸ बेगमगंज ▸ गैरतगंज ▸ सिलवानी ▸ उदयपुरा ▸ सांची

भोपाल,बुधवार, 18 मई, 2022 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष-03, 2079

आयोजन • पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम जागरूकता पर हुआ कार्यक्रम

पुरानी और देशी किस्मों को संरक्षित करें जो ज्यादा उत्पादन देती हैं: डॉ. श्रीवास्तव

भास्कर संवाददाता | रायसेन

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल व कृषि विज्ञान केंद्र नकतरा के संयुक्त तत्वाधान में कृषि में नई खोज, प्रजनन व किस्मों की सुरक्षा के क्षेत्रों में अधिकार संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉ. अशोक कुमार पात्रा के मार्गदर्शन में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. संजय श्रीवास्तव डॉ. वासंदा, डॉ. निशांत सिन्हा, डॉ. ज्योति कुमार, डॉ. शिनोगी, संजय परिहार व डॉ. स्वप्निल दुबे ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित किया गया। प्रधान वैज्ञानिक डॉ. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कृषकों के पास जो पुरानी व देशी किस्में उपलब्ध हैं और उनमें कोई विशिष्ट गुण जैसे जल्दी पकना, कम अवधि, तापमान प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी होने पर उसे संरक्षित करें। कार्यक्रम में कृषक समुदाय से पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001 के अन्तर्गत किस्मों का मालिकाना हक किसानों को दिलाने की प्रक्रिया और पंजीकरण आदि की विस्तृत चर्चा की गई। डॉ. स्वप्निल दुबे ने कृषि अधिकार अधिनियम के तहत कृषक किस्म, कृषकों के अधिकार, उद्देश्य एवं पौध किस्मों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी तकनीकी जानकारी विस्तारपूर्वक दी। कृषक पंजीकरण आवेदन पत्र जिले के उपसंचालक कृषि या शोध निदेशक से हस्ताक्षर कराकर पंजीकरण हेतु पौधा किस्म व कृषक अधिकार प्राधिकरण कृषि मंत्रालय नई दिल्ली को भेज सकते हैं।

कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने दिया मार्गदर्शन

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण पर संगोष्ठि में शामिल होने पहुंचे किसान।

प्राकृतिक और जैविक खेती आज की आवश्यकता है: डॉ. ज्योति

वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी व रंजीत सिंह राघव द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, कृषक प्रजाति पंजीकरण की प्रक्रिया व कृषकों के अधिकार सम्बन्धी जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई। कार्यक्रम में डॉ. वासंदा द्वारा कृषि में सूक्ष्म तत्व प्रबंधन की जानकारी दी, जबकि डॉ. ज्योति कुमार द्वारा प्राकृतिक व जैविक खेती को आज की आवश्यकता बताया। डॉ. शिनोगी द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से किसानों की प्रौद्योगिकीय का संरक्षण संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन डॉ. निशांत सिन्हा द्वारा किया गया।

गेहूं की विशिष्ट प्रजाति में बाली व दानों की लंबाई है ज्यादा

कार्यक्रम में सांचेत गांव के किसान मलखान सिंह लोधी ने बताया कि परंपरागत तरीके से उगाई जा रही गेहूं की विशिष्ट प्रजाति, जिसमें बाली व दाने की अधिक लंबाई, कम पानी की स्थिति में भी अच्छा उत्पादन दे रही है। कार्यक्रम में खण्डेरा, नकतरा, भूसीमेटा, सोनकच्छ, बांसादेही, बनखेड़ी, हिनौतिया, नीमढ़ाना, मेहगांव, चंदोरा, बड़ौदा, सांचेत, तेन्दुखोह, आमखेड़ा आदि ग्रामों के लगभग 100 कृषकों ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी, रंजीत सिंह राघव, डॉ. मुकुल कुमार, लक्ष्मी चक्रवर्ती, डॉ. अंशुमान गुप्ता, आलोक सूर्यवंशी, ब्रह्मानंद शुक्ला, सुनील केथवास, पंकज भार्गव उपस्थित थे।